संख्या- 83/2026/2058/22-2-2023-17(501)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्म पुत्र श्री कालू, निवासी जनपद-मथुरा की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्म पुत्र श्री कालू, ग्राम-महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। गंगाराम की पुत्री अपने घर से भाग गयी थी 03 दिन बाद वापस आयी तो 02 लड़को के ऊपर आरोप लगा कर दिनांक 28.03.1991 को 53 लोगों ने मिलकर सांयकाल समय 9:00 बजे मंगतू पहलवान की बैठक पर पंचायत बुलायी गयी जिसमें तीनों लोगो को बारी-बारी से पीटा गया और दोनों लड़कों को उल्टा लटका कर उनके गुप्तागों को जलाया गया। प्रातःकाल तीनों को फांसी पर लटकाया और फिर अधमरे हालत में शमशान घाट पर जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-359/1991 में धारा-3(3)10, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष की सजा व भा०द०वि० की धारा-147, 302/149, 323/149, 324/149, 201/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा कोर्ट सं0-2 के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा मत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहावाद के आदेश दिनांक 31-05- 2016 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा अपील को अस्वीकार कर सजा को यथावत् रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 14.11.2022 तक अपरिहार 10 वर्ष, 11 माह, 24 दिन तथा 13 वर्ष, 04 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 14.11.2022 तक लगभग 65 वर्ष, 03 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी धर्म पुत्र श्री कालू की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी की 65 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा किए गये अपराध

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की गम्भीरता (03 हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्म(बन्दी संख्या- 17694) पुत्र श्री कालू, निवासी जनपद- मथुरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 83/2026/2058(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।